FORM No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा मुकाम खैरथल–तिजारा **उनवान आशुतोष सिंह बनाम पिरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड वगै0** किस्म– **कैवियट प्रार्थना–पत्र** मुकदमा नम्बर 15 /141/2023 दा. दि. 22.11.2023

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/2023	आदिनांक यह कैवियट प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया। कैवियट प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना–पत्र वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 04.12.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा	
04/12/2023	आज यह पत्रावली पेश हुई। कैवियटकर्ता उपस्थित, कैवियटकर्ता द्वारा प्रकरण मे कार्यवाही किये जाने से पूर्व उसकी सूचना प्रार्थी (कैवियटकर्ता) को दिये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी कैवियटकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत संबंधित प्रार्थी बैंक द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र/शपथ–पत्र में अंकित तथ्यो की जांच कर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। बाकीदार की सुनवाई किये जाने का प्रावधान नहीं है, यदि बाकीदार बैंक द्वारा की जा रही कार्यवाही से असन्तुष्ट है, तो वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 की धारा 13 की उपधारा 13(2)/13 (4) के विरूद्ध पैतालिस दिन के भीतर इस विषय में अधिकारिता रखने वाले ऋण व सूली अधिकरण को अपील पेश कर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रकरण में कैवियटकर्ता को कैवियट प्रार्थना–पत्र पेश करने का प्रावधान न होने के कारण कैवियट प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र निर्णय सुमार हो, बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो। जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा	